

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०—17/विविध— 01-189/2026

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० साहिफा अख्तरी, ट्यूटर (टेन्योर), पी०एस०एम० विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को स्वास्थ्य विभागीय आदेश सख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कड़िका-07 के शर्ताधीन दिनांक-10.08.2026 के प्रभाव से द्वितीय सतान हेतु मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

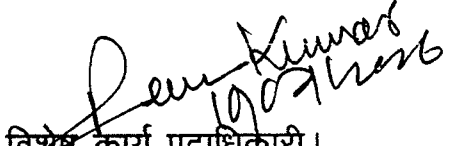
ज्ञापन सं०—17/विविध— 01-189/2026— 1170/17 पटना, दिनांक :- 12/09/2026

प्रति, महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति, डॉ० साहिफा अख्तरी, ट्यूटर (टेन्योर) पी०एस०एम० विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति, टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।